# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–81 / 2015–16

**मिथिलेश सिंह** बनाम **मो0 सुनीता सिंह वगैरह**

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 6/9/18 | **आदेश**<br>यह वाद श्री मिथिलेश सिंह, पिता स्व0 शिव पूजन सिंह, ग्राम–कुरथौल, थाना–परसाबाजार, जिला–पटना के द्वारा रवीन्द्र सिंह, पिता स्व0 केदार सिंह, ग्राम–कुरथौल, थाना–परसा बाजार, जिला–पटना के विरूद्ध लाया गया था।<br>विपक्षी रवीन्द्र सिंह की दिनांक 05.07.2017 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर उनके वैध उतराधिकारी मो0 सुनीता सिंह (पत्नी), अमित रंजन (पुत्र) एवं सुमित्र रंजन (पुत्र) को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गयी।<br>आवेदक मिथिलेश सिंह के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{18}{7}$ वर्ष 2015–16 में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद लाया गया है।<br>विपक्षी का कहना है कि दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{18}{7}$ वर्ष 2015–16 में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जमाबंदी रद्द वाद दायर किया जाना विधि सम्मत नहीं है।<br>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।<br>अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{18}{7}$ वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत उभय पक्ष को सुनकर दिनांक 14.08.2015 को आदेश पारित किया गया। यदि उक्त आदेश से कोई क्षुब्ध थे तो उन्हें बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए थी। भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अंचलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर नहीं कर इस न्यायालय में वाद दायर किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है।<br>अतः आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक चाहें तो अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर विलम्ब को क्षांत करते हुए, वाद ग्रहण कर सकते हैं।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>6/9/18<br>(वजैन उद्दीन असारी)<br>अपर समाहर्त्ता, पटना<br>6/9/18<br>(वजैन उद्दीन असारी)<br>अपर समाहर्त्ता, पटना | |